रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मार्च 23, 1995/चैत्र 2, 1917
No. 16] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 1995/CHAITRA 2, 1917

आन्ध्रा बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

(केन्द्रीय कार्यालय: कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

हैदराबाद, 1 मार्च, 1995

सं. 666/20/विधि/407:—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्रा बैंक के मण्डल निदेशक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के अनुसार एतद्द्वारा आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरियों हेतु स्वीकृति) (संबंधी विनियम 1984) जो इसमें इसके पश्चात् मुख्य विनियम के रूप में संदर्भित होंगे) में संशोधन करने हेतु निम्नांकित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों को आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् (संशोधन) निजी क्षेत्र के उद्यमों में नौकरियों की स्वीकृति संबंधी विनियम 1995 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम, इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् से ही प्रवृत्त (लागू) हो जायेंगे।

2. मुख्य विनियमों के विनियम 4 उसके विनियमों के उप-विनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा तथा इस तरह के पुनः संख्यांकित उपनियम (1) तथा उसके प्रावधान में निम्नांकित उप विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उपविनियम (1) के अंतर्गत जहां किसी अधिकारी कर्मचारी ने पूर्व मंजूरी हेतु मण्डल को या सक्षम प्राधिकारी को आवेदित किया हो मण्डल या सक्षम प्राधिकारी चाहे तो कर्मचारी को निजी क्षेत्र के उद्यम में नौकरी प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर सकता है अथवा कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसी अनुमति देने से अस्वीकृत भी कर सकता है।

बशर्ते कि, जहां मण्डल या सक्षम प्राधिकारी आवेदक से प्राप्त हुए आवेदन की प्राप्ति तिथि से नब्बे दिनों के अंदर आवेदक को अनुमति या अस्वीकृति की सूचना नहीं देता है तो निजी क्षेत्र के उद्यम में रोजगार प्राप्त करने के लिए उसे मण्डल या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति है माना जाएगा।

बशर्ते यह भी कि जहां मण्डल या सक्षम प्राधिकारी ने कर्मचारी से अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण मांगा हो, तो कर्मचारी द्वारा अपेक्षित सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में ली गयी अवधि को उद्देश्य हेतु रखी गयी नब्बे दिनों की तथाकथित अवधि की गणना से उसे अलग माना जाएगा ।"

चक्का राजा राव, महा प्रबंधक (कार्मिक)

ANDHRA BANK

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

(Central Office : Personnel Department)

NOTIFICATION

Hyderabad, the 1st March, 1995

No. 666|20|LEGAL|407.—In exercise of the Powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Andhra Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Andhra Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations 1984 (hereinafter referred it to as the Principal regulations) Namely :—

1. (i) These Regulations may be called the Andhra Bank Officer Employees' Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after retirement (Amendment) Regulations, 1995.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Regulation 4 of the principal regulations shall be renumbered as Sub regulation (1) thereof and after sub-regulations (1) as so renumbered and the proviso thereto, the following sub regulation shall be inserted, namely :—

"(2) Where an officer employee has applied for previous sanction to the Board or, as the case may be, to the competent authority under sub regulation (1), the Board or the competent authority shall either permit the employee to take up employment in the private concern or refuse such permission after giving the employee an opportunity of being heard :

Provided that where the Board or the competent authority does not communicate its permission or refusal to the applicant within ninety days of the receipt of the application by it, the Board or the competent authority shall be deemed to have permitted the employee to take up employment in private concern :

Provided further that where the Board or the Competent Authority has called for further information or clarification from the employee, the period taken by the employee in furnishing the required information or clarification shall be excluded for the purpose of computing the aforesaid period of ninety days.".

CH. RAJA RAO, General Manager (Personnel)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995